

# Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy {MPDSAP}

## 1. Preamble

Government Of India {Gol} issued the National Data Sharing and Accessibility Policy {NDSAP} vide Gazette of India Notification No. 11, Part 1, Sec 1 on 17, March 2012 {Annexure 1}. It mandates all Central government departments to make data and information created, generated, collected and archived using public funds directly or through authorized agencies of various organs of Gol, available for planning and development. Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy is to be read in conjunction with NDSAP.

## 2. Objectives

The objective of this policy is to facilitate the availability and access to data and information in both human readable and machine readable forms through a electronic network in a proactive and periodically updatable manner, within the framework of various related Policies, Acts and Rules of the Government of Madhya Pradesh and Government of India.

## 3. Scope

The Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy (MPDSAP) is designed so as to apply to all sharable non-sensitive data available either in digital or analog forms and generated using public funds by various State department/Subordinate offices/ organizations/agencies, It is designed to promote sharing and enable access to Government owned data that could be used for planning and development.

#### 4. Implementation

- a) National data portal data.gov.in being operated by NIC will be used for wider dissemination of data under this policy as well as through the Government of Madhya Pradesh portal.
- b) The Department of Information Technology implementation of this policy in close collaboration with the State unit of NIC.
- c) Each department will make resources available under their own budget allocations for implementation of this policy.
- d) The nodal department will issue the detailed implementation guidelines similar to the National implementation guidelines issued by DeitY, GOI.
- e) All the Department will provide at least 3 high value datasets within six month after notification of this policy, The department will endeavor to upload all existing data in one year's time and hereafter as and when data is available.
- f) The standards of NDSAP will be followed to ensure interoperability. The State nodal department will develop their state portal on the lines of the national portal developed by NIC.
- g) An oversight state committee will be constituted for facilitating the implementation of the policy and its provisions thereof under the chairmanship of the chief secretary and convener of the head of the nodal department in the state.
- h) Government department will encourage community participation for development of application using the data data made available under this policy with a view to empower the citizens.



## मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (State Data Sharing and Accessibility Policy)

### 1. प्रस्तावना

भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक 11 भाग-1, दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (National Data Sharing and Accessibility Policy-NDSAP) जारी की गई है। यह नीति भारत सरकार के सभी विभागों को, उनके द्वारा लोक निधि का उपयोग करके सीधे या भारत सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से सृजित, निर्मित, संगृहीत और पुरालेखित आंकड़ों एवं सूचनाओं को योजना एवं विकास के लिए उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करती है। मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (Madhya Pradesh National Data Sharing and Accessibility Policy - MPDSAP) को NDSAP के संगत प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा।

### 2. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य, भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न संबंधित नीतियाँ, अधिनियमों एवं नियमावली के दायरे के भीतर रहते हुए अग्रसक्रिय (Proactive) रूप से (Periodically) अद्यतन करने योग्य तरीके से पूरे देश से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से, मनुष्य एवं मशीन द्वारा पाठन योग्य आंकड़ों और सूचनाओं की अभिगम्यता और पहुँच को सुसाध्य बनाना है।

### 3. विषय क्षेत्र

मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy) इस प्रकार निर्मित की गई है कि वे राज्य के विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों/एजेंसियों द्वारा लोक निधि का उपयोग कर निर्मित डिजिटल या एनोलॉग प्रारूप में उपलब्ध सभी भागिता योग्य असंवेदनशील डाटा के लिए लागू हो सके। इस नीति की अभिकल्पना शासन के स्वामित्व वाले आंकड़ों की भागिता को बढ़ाने और अभिगम्यता को सक्षम बनाने हेतु की गई है ताकि उनका उपयोग नियोजन और विकास में हो सके।



#### 4. कार्यान्वयन

- a) इस नीति के तहत आंकड़ों की व्यापक प्रसार हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंकड़ा पोर्टल [www.data.gov.in](http://www.data.gov.in) एवं मध्यप्रदेश शासन के पोर्टल का उपयोग किया जायेगा।
- b) इस नीति के कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा। NIC मध्यप्रदेश द्वारा इस कार्य में आवश्यक सहयोग किया जायेगा।
- c) प्रत्येक विभाग इस नीति के कार्यान्वयन हेतु अपने बजट आवंटन के अधीन संसाधन उपलब्ध करायेगा।
- d) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) भारत शासन द्वारा जारी राष्ट्रीय क्रियान्वयन गाईड लाईन की तरह मध्यप्रदेश शासन का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी विस्तृत कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (गाईड लाईन) जारी करेगा।
- e) इस नीति के अधिसूचित होने के छः माह के भीतर समस्त विभाग न्यूनतम तीन प्रमुख एवं उच्च महत्व के डाटासेट उपलब्ध करायेंगे। समस्त विभाग अपने समस्त उपलब्ध डाटा 1 वर्ष के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रयास करेंगे एवं उसके पश्चात समय-समय पर डाटा की उपलब्धता अनुसार नियमित रूप से अपलोड करेंगे।
- f) अंतर सक्रियता सुनिश्चित करने हेतु NDSAP (National Data Sharing and Accessibility Policy) के मानदण्डों का पालन किया जायेगा। नोडल विभाग द्वारा नेशनल पोर्टल अनुसार, राज्य राज्य पोर्टल का विकास किया जायेगा।
- g) इस नीति के प्रावधानों एवं कार्यान्वयन को सुगम रूप से लागू करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता और नोडल विभाग के प्रमुख संयोजकत्व में राज्य स्तरीय समिति गठित की जायेगी।
- h) नागरिकों को समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से सभी विभागों द्वारा इस नीति के तहत उपलब्ध कराये गये डाटा का प्रयोग करते हुये विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकास हेतु समुदाय को प्रोत्साहित किया जायेगा।